न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/50/2019

श्रीमती चम्बल देवी पुत्री कुन्दन धर्मपत्नी बैजूराम जाति माली निवासी कस्वा नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

राज0सरकार तामील जरिये तहसीलदार नदबई

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 18(4) के प्रोवीजो अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट आफ लैण्ड फौर एग्रीकल्चरज परपज) 1970

उपस्थित :–
1–श्री कृष्ण कुमार सिंघल अभिभाषक प्रार्थी,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 23.5.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के लिए सहायक कलक्टर नदबई के यहॉ दावा उनवानी चम्बल देवी बनाम राजस्थान सरकार संख्या 158/13 प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा दिनांक 23.2.2015 को करते हुये प्रार्थीया के हक में डिक्री पारित की। खातेदारी की डिक्री इस आधार पर प्रदान नहीं की, क्यों कि प्रार्थीया के गैर खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 960 रकवा 0.25 ऐयर कस्वा नदबई क्षेत्र में स्थित है। गैर खातेदारी से खातेदारी देने में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट ऑफ और एग्रीकल्चरल परपजेज) 1970 के नियम 18(4) में जोडे गये प्रावीजो के अन्तर्गत जिला कलक्टर सक्षम हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार से खातेदारी के इन्द्राज करने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नमबर 960 रकबा 25 ऐयर कस्बा नदबई में स्थिति है उक्त आराजी प्रार्थीया को पुरखों से प्राप्त हुई थी, उक्त आराजी पर प्रार्थीया गैर खातेदार दर्ज थी, गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कराये जाने के लिये एक दावा सहायक कलक्टर नदबई के यहॉ पेश किया गया। सहायक कलक्टर नदबई ने दावा दिनांक 23.5.2015 प्रार्थी के हक में डिक्री कर दिया गया है। उनका कहना है कि उक्त आराजी नदबई कस्बा क्षेत्र से लगी हुई होने के कारण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एलोटमेन्ट आफ फौर एग्रीकल्चरल परपजेज) 1970 के नियम 18 (4) में जोडे गये प्रोविजो के अन्तर्गत जिला कलक्टर खातेदारी आदेश देने के लिये सक्षम है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय डिक्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थीया के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश देने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि मुताविक निणर्य डिक्री एसीएम नदबई प्रार्थी को प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त के यहॉ पेश करना चाहिये था। प्रार्थना देरी से पेश किया गया है । प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय डिक्री की पालना के लिये उपखण्ड अधिकारी नदबई के यहॉ जाना चाहिये था। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थीया ने सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के लिये निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 फोटो प्रतियॉ का अवलोकन किया गया, सहायक कलक्टर नदबई ने निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 में अंकित किया है कि :–

> ".....विवादित आराजी ख0न0 960 रकबा 0.25 है0 बाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई पर वादिनी का कब्जा काश्त घोषित किया जाता है तथा गैरखातेदार से खातेदारी प्राप्त करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियम 1970 के नियम 18 के उपनियम 4 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 1.6.2007 जोडे गये परन्तुक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर नियमानुसर प्रदान कर सकते हैं.....।"

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र/50/2019
श्रीमती चम्बल देवी बनाम सरकार

सहायक कलक्टर नदबई निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 की बावत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 की बावत उजदारी 7 साल बाद की गई है। अपीलान्ट को निर्णय डिकी की अगर ईजराय (Execution) कराना है तो उसे सक्षम न्यायालय में विविधवत कार्यवाही करनी चाहिये थी, अगर उन्हें निर्णय डिकी से कोई हकतलफी है तो नियमों में दिये गये प्रावधानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 23.5.2022 सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर